भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-430

दिनांक 02 दिसंबर, 2025 के लिए प्रश्न

राष्ट्रीय पशुधन मिशन

430. श्रीमती स्मिता उदय वाघः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) और उससे जुड़े प्रोग्राम जैसे राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम), उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी), पशुपालन अवसरंचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) और राष्ट्रीय गोकुल मिशन के मुख्य उद्देश्य और घटक हिस्से क्या हैं जिनका उद्देश्य डेयरी फार्मिंग और पशुधन विकास को बढ़ावा देना है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) के तहत लाभान्वित होने वाले किसानों, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों की कुल राज्य-वार संख्या क्या है;

(ग) विशेष रूप से गाय आधारित डेयरी फार्मिंग में संलग्न लाभार्थियों और उन्हें प्रदान की गयी सहायता और समर्थन का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस मिशन के तहत महाराष्ट्र राज्य विशेषकर जलगांव निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्य-वार कोई परियोजना या वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसमें शामिल किसानों की संख्या, नस्ल सुधार के लिए उठाए गए कदमों और जमीनी स्तर पर दूध का उत्पादन और आय बढ़ाने के लिए किए गए उपायों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ़ ललन सिंह)

(क) जी हां, केन्द्र सरकार राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM), पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF), राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) का क्रियान्वयन कर रही है, जिनका उद्देश्य डेयरी फार्मिंग और पशुधन विकास को बढ़ावा देना है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

(I) राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM): पुनर्गठित राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM), वर्ष 2021-22 में शुरू किया गया। यह योजना रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास और प्रति-पशु उत्पादकता बढ़ाने पर केंद्रित है, जिससे मांस, बकरी के दूध, अंडे और ऊन के उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। 21 फरवरी 2024 को इस योजना में और संशोधन किया गया, जिसमें ऊँटों, घोड़ों और गधों की नस्ल-उन्नयन के साथ-साथ बंजर भूमि, रेंज भूमि और निम्न अवक्रमितवन भूमि का उपयोग करके चारा उत्पादन की पहल को भी शामिल किया गया।

इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

i. जुगाली करने वालेछोटे पशुओं, पोल्ट्री, सुअर, ऊंट, गधे, खच्चर, घोड़े और चारा क्षेत्र में उद्यमिता विकास के माध्यम से रोजगार सृजन

ii. नस्ल सुधार के माध्यम से प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि

iii. भेड़, बकरी, सुअर और पोल्ट्री के मांस, ऊंट, गधोंकी संख्या, दूध, ऊन, अंडे और चारे के उत्पादन में वृद्धि।

iv. चारा, चारा बीज प्रसंस्करण और ग्रेडिंग इकाइयों, बीज आपूर्ति श्रृंखला और प्रमाणित चारा बीजों की उपलब्धता को सुदृढ़ करके मांग को कम करने के लिए आहार और चारे की उपलब्धता में पर्याप्त वृद्धि करना।

v. चारा प्रसंस्करण अवसंरचना की स्थापना को प्रोत्साहित करना और मांग-आपूर्ति के अंतर को कम करना।

vi. चारे की खेती के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि

vii. किसानों के लिए पशुधन बीमा सहित जोखिम प्रबंधन उपायों को बढ़ावा देना।

viii. पोल्ट्री, भेड़, बकरी, आहार और चारे के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुप्रयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देना।

ix. किसानों को गुणवत्तापूर्ण विस्तार सेवा प्रदान करने के लिए सुदृढ़ विस्तार तंत्र के माध्यम से राज्य पदाधिकारियों और पशुपालकों की क्षमता का निर्माण।

x. उत्पादन लागत कम करने और पशुधन क्षेत्र के उत्पादन में सुधार के लिए कौशल-आधारित प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकियों के प्रसार को बढ़ावा देना

इस योजना के अंतर्गत तीन उप-मिशन हैं:

(i) पशुधन और पोल्ट्री नस्ल विकास संबंधी उप-मिशन

(ii) आहार और चारा विकास संबंधी उप-मिशन

(iii) नवाचार और विस्तार संबंधी उप-मिशन

एनएलएम के अंतर्गत, उद्यमिता कार्यक्रम (एनएलएम-ईडीपी) एक प्रमुख घटक है जिसके अंतर्गत व्यक्तियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी), किसान सहकारी संगठनों (एफसीओ) और धारा 8 कंपनियों को 50% पूंजीगत सब्सिडी (50.00 लाख रुपये तक) प्रदान की जाती है। यह सब्सिडी ग्रामीण मुर्गी पालन फार्म, भेड़/बकरी, सुअर, ऊँट, घोड़ा, गधा प्रजनन फार्म, साथ ही चारा मूल्यवर्धन इकाइयाँ जैसे भूसा, साइलेज, कुल मिश्रित राशन (टीएमआर), चारा ब्लॉक और चारा बीज प्रसंस्करण, ग्रेडिंग और भंडारण इकाइयों की स्थापना में सहायता करती है।

योजना पूरी तरह से डिजिटल है। विभिन्न घटकों के लिए सब्सिडी की सीमा परियोजना के प्रकार के आधार पर ₹3 लाख से ₹50 लाख तक है।

(II) पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF): पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) अपनी पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) योजना के माध्यम से व्यक्तिगत उद्यमियों, निजी कंपनियों, किसान उत्पादक संगठनों (FPO), एमएसएमई, धारा 8 कंपनियों और सहकारी समितियों द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करके भारत के पशुधन और संबद्ध प्रसंस्करण क्षेत्र के परिदृश्य को बदलने की दिशा में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है ताकि (i) डेयरी प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन अवसंरचना, (ii) मांस प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन अवसंरचना (iii) पशु चारा संयंत्र (iv) नस्ल सुधार तकनीक और नस्ल वृद्धि फार्म (v) पशु चिकित्सा टीका और औषधि विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना और (vi) पशु अपशिष्ट से संपति प्रबंधन (कृषि अपशिष्ट प्रबंधन) और (vii) देश भर में प्रारंभिक ऊन प्रसंस्करण स्थापित किया जा सके।

एएचआईडीएफ (AHIDF) योजना पशुधन क्षेत्र में व्यापक बदलाव ला रही है, जिसके उद्देश्य इस प्रकार हैं:

• दूध और मांस प्रसंस्करण क्षमता और उत्पाद विविधीकरण को बढ़ाने में सहायता करना, जिससे असंगठित ग्रामीण दूध और मांस उत्पादकों को संगठित दूध और मांस बाजार तक बेहतर पहुँच प्रदान हो सके।
• उत्पादकों को अधिक मूल्य उपलब्ध कराना।
• घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्तापूर्ण दूध और मांस उत्पाद उपलब्ध कराना।
• देश की बढ़ती आबादी की प्रोटीन युक्त गुणवत्तापूर्ण खाद्य आवश्यकता को पूरा करना और दुनिया में सबसे अधिक कुपोषित बच्चों की आबादी वाले देशों में से एक में कुपोषण को रोकना।
• उद्यमिता विकास और रोजगार सृजन।
• निर्यात को बढ़ावा देना और दूध और मांस क्षेत्र में निर्यात के योगदान को बढ़ाना।
• गोपशुओं, भैंसों, भेड़, बकरी, सूअर और पोल्ट्री के लिए गुणवत्तापूर्ण पशु आहार उपलब्ध कराना ताकि उन्हें किफायती कीमतों पर संतुलित आहार उपलब्ध कराया जा सके।

(III) राष्ट्रीय गोकुल मिशन को देशी बोवाइन नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है, जिससे दूध की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बोवाइन पशुओं के दूध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी तथा देश के ग्रामीण किसानों के लिए डेयरी व्यवसाय को अधिक लाभकारी बनाया जा सकेगा।
आरजीएम योजना के मुख्य उद्देश्य हैं: (i) देसी नस्लों के उत्कृष्ट पशुओं की पहचान और प्रसार के माध्यम से देसीबोवाइन नस्लों की उत्पादकता को लक्षित रूप से बढ़ाना; (ii) उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले पशुओं का राष्ट्रीय दुधारू झुंड बनाना, जिसमें डोनर शमिल हो तथा आधुनिक प्रजनन जैव तकनीकों के उपयोग के माध्यम से उत्कृष्टतम पशुओं का प्रसार करना; (iii) किसानों के स्तर पर बोवाइन पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रजनन तकनीकों जैसे सेक्ससॉर्टेड सीमन, आईवीएफ तकनीक, जीनोमिक्स आदि के उपयोग को मुख्यधारा में लाना और (iv) किसानों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं की प्रदायगी के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को बढ़ाना। आरजीएम के घटक निम्नलिखित हैं:

(i) राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (NAIP): इस घटक के अंतर्गत, 50% से कम कृत्रिम गर्भाधान कवरेज वाले जिलों में किसानों के घर पर निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।
(ii) उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले सांडों, जिनमें देशी नस्लों के सांड भी शामिल हैं, के उत्पादन हेतु संतति परीक्षण और वंशावली चयन कार्यान्वित किया जा रहा है।
(iii) बोवाइन आबादी के तेजी से आनुवंशिक उन्नयन के लिए आईवीएफ तकनीक और सेक्ससॉर्टेड सीमन का उपयोग करके त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।
(iv) ग्रामीण भारत में बहुउद्देशीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों (MAITRI) को किसानों के द्वार पर गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित किया गया है।
(v) नस्ल वृद्धि फार्म की स्थापना

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान एनएलएम के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले किसानों की राज्यवार अनुमानित संख्या अनुबंध I में दी गई है।

(ग) से (ङ) आरजीएम (RGM) के प्रमुख घटकों के अंतर्गत डेयरी किसानों को उपलब्ध कराई गई सहायता, नस्ल सुधार पहलों और दूध उत्पादकता बढ़ाने के उपायों का विवरण निम्नानुसार है:
(i) वर्तमान में एनएआईपी (NAIP) महाराष्ट्र के 33 जिलों में कार्यान्वित है और अब तक, 58.08 लाख पशुओं को कवर किया गया है, 79.23 लाख कृत्रिम गर्भाधान किए गए हैं और 37.30 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। महाराष्ट्र के जलगाँव जिले में, एनएआईपी (NAIP) के अंतर्गत 2.26

लाख पशुओं को कवर किया गया है, 3.09 लाख कृत्रिम गर्भाधान किए गए हैं और 1.43 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। एनएआईपी (NAIP) का राज्यवार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(ii) संतति परीक्षण और वंशावली चयन कार्यक्रम के अंतर्गत,महाराष्ट्र की गोपशु की गाओलाओ नस्ल और भैंस की पंढरपुरी नस्ल इस कार्यक्रम के अंतर्गत कवर की गई है;

(iii) आईवीएफ (IVF) तकनीक और सेक्स सॉर्टेड सीमन का उपयोग करके त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गतमहाराष्ट्र में 2 आईवीएफ प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं और इन प्रयोगशालाओं का लाभ महाराष्ट्र के जलगांव जिले सहित राज्य के सभी डेयरी किसानों को मिल रहा है।

(iv) महाराष्ट्र में कुल 1270 मैत्रीप्रशिक्षित और सुसज्जित हैं, जिनमें महाराष्ट्र के जलगाँव जिले में नियुक्त 30 मैत्री भी शामिल हैं।

(v) नस्ल वृद्धि फार्म की स्थापना के घटक के अंतर्गत, विभाग ने जलगाँव जिले के लिए संस्वीकृत 1 बीएमएफ सहित 33 नस्ल वृद्धि फार्मों को अनुमोदन दिया है।

एएचआईडीएफ (AHIDF) के अंतर्गत दिनांक 27.11.2025 तक, नस्ल सुधार औरगोपशु वृद्धि श्रेणी के अंतर्गत गाय आधारित डेयरी फार्मिंग के लिए कुल छह परियोजनाओं को अनुमोदन दिया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**राज्य**	**जिला**	**कुल अनुमोदित परियोजना लगत**	**ऋण राशि**	**जारी ब्याज सबवेंशन की स्थिति**
			(करोड़ रु. में)	**(करोड़ रु. में)**	**(रुपये में)**
1	जम्मू और कश्मीर	कठुआ	1.01	0.4	10,977
2	राजस्थान	जयपुर	4.15	1	274,065
3	महाराष्ट्र	सोलापुर	4.15	1.5	299,677
4	महाराष्ट्र	पुणे	5.33	2	226,027
5	महाराष्ट्र	सोलापुर	4.39	1.5	400,016
6	हरियाणा	करनाल	4.08	1.65	335,844
कुल			23.11	8.05	1,546,606

जलगांव जिले में एएचआईडीएफ के तहत कोई परियोजना अनुमोदित नहीं हुई है। अनुमानित लाभान्वित किसानों सहित अनुमोदित परियोजनाओं और ब्याज़ सबवेंशन काराज्य-वार और श्रेणी-वार विवरण अनुबंध III में दिया गया है।

महाराष्ट्र में एनएलएम-ईडीपी (NLM-EDP) के तहत, कुल 366 परियोजना को अनुमोदन मिला है, जिनकी परियोजना लागत 216.80 करोड़ रु. है और अनुमोदित सब्सिडी 101.89 करोड़ रु. है। उम्मीद है कि इन परियोजना से 11054 किसानों को फ़ायदा होगा। हालांकि डेटा लोकसभा चुनाव क्षेत्र के हिसाब से व्यवस्थित नहीं है, यह जिले के हिसाब से उपलब्ध है। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में, 5 परियोजनाएं अनुमोदित हुई हैं, जिनकी परियोजना लागत 3.12 करोड़ रु. है और अनुमोदित सब्सिडी 1.50 करोड़ रु. है, जिससे 330 किसानों को लाभमिलने की उम्मीद है। परियोजना-वार और राज्य-वार जानकारी अनुबंध IV में दी गई है।

इसके अलावा, पूरे भारत में टीकाकरण अभियान चलाने के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। टीकाकरण से बीमारियों से बचाव होता है जिससे उत्पादकता में कमी को रोका जा सकता है। मुंहपका और खुरपका रोग (FMD), ब्रूसेलोसिस, पेस्ट डेस पेटिट्स (PPR) और क्लासिकल स्वाइन ज्वर के लिए किए गए टीकाकरण की वर्ष-वार और राज्य-वार जानकारी भारतपशुधन पोर्टल (https://bharatpashudhan.ndlm.co.in) पर उपलब्ध है।

****

अनुबंध-।
लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 430
संसद सदस्य का नाम: श्रीमती स्मिता उदय वाघ
उत्तर देने की तारीख: 02.12.2025

एनएलएम (NLM) में पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवारलाभान्वित किसानों की संभावित संख्या निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	राज्य	प्रभावित किसान
1.	आंध्र प्रदेश	47205
2.	अरुणाचल प्रदेश	413
3.	असम	7148
4.	बिहार	2236
5.	छत्तीसगढ़	6668
6.	गोवा	13
7.	गुजरात	66377
8.	हरियाणा	116682
9.	हिमाचल प्रदेश	26491
10.	जम्मू और कश्मीर	35569
11।	झारखंड	11334
12.	कर्नाटक	71496
13.	केरल	17742
14.	मध्य प्रदेश	53377
15.	महाराष्ट्र	11844
16.	मणिपुर	87
17.	मेघालय	1381
18.	मिजोरम	1513
19.	नागालैंड	1927
20.	ओडिशा	79230
21.	पुदुचेरी	2820
22.	पंजाब	58113
23.	राजस्थान	3577
24.	सिक्किम	1101
25.	तमिलनाडु	181311
26.	तेलंगाना	9408
27.	त्रिपुरा	224
28.	उत्तर प्रदेश	161872
29.	उत्तराखंड	111337
30.	पश्चिम बंगाल	1704
कुल योग		**1090200**

अनुबंध- II

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 430

संसद सदस्य का नाम: श्रीमती स्मिता उदय वाघ

उत्तर देने की तारीख: 02.12.2025

राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम से लाभान्वित होने वाले संभावितकिसानों के साथराष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (NAIP)की राज्यवार संख्या निम्नानुसार है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गर्भाधान किए गए कुलपशु	किए गए कुल कृत्रिम गर्भाधान	लाभान्वित कुलकिसान
आंध्र प्रदेश	7422589	14118298	3418617
अरुणाचल प्रदेश	3856	4416	1788
असम	1708046	2210006	1448019
बिहार	3970368	5512367	2689084
छत्तीसगढ़	1928449	2624455	1147940
गोवा	28037	46843	9069
गुजरात	5716801	9243132	3407508
हरियाणा	627406	918621	454025
हिमाचल प्रदेश	1888257	3115646	1364238
जम्मू और कश्मीर	2420184	4366726	1627387
झारखंड	2773822	3789426	1860786
कर्नाटक	8572671	17041768	5285132
लद्दाख	7523	9428	6076
मध्य प्रदेश	8610290	10823273	5031102
महाराष्ट्र	5808152	7923419	3730670
मणिपुर	27282	32142	15724
मेघालय	50643	82033	16286
मिजोरम	8404	11578	3899
नागालैंड	41526	54600	16902
ओडिशा	4974212	6749072	3094871
पंजाब	1195739	1896192	636970
राजस्थान	6075568	8079833	4199261
सिक्किम	44997	56038	34426
तमिलनाडु	5027257	8544839	2335024
तेलंगाना	3462362	4707354	1730192
त्रिपुरा	257336	338681	214033
उत्तर प्रदेश	14130975	22355695	7906103
उत्तरांचल	1488069	2397531	1051650
पश्चिम बंगाल	5368974	8594837	3497941
कुल	93639795	145648249	56234723

अनुबंध- III

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 430

संसद सदस्य का नाम: श्रीमती स्मिता उदय वाघ

उत्तर देने की तारीख: 02.12.2025

लाभान्वित होने वाले संभावित किसानोंसहित अनुमोदित परियोजनाओं और ब्याज सबवेंशन का राज्य-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	राज्य कानाम	पशुचारासंयंत्र		पशुअपशिष्टसेसंपत्तिप्रबंधन		नस्लसुधारप्रौद्योगिकी औरनस्लवृद्धिफार्म		डेयरीप्रसंस्करणऔरमूल्यसंवर्धन		मांसप्रसंस्करणऔरमूल्य संवर्धन		पशुचिकित्साटीकाऔरदवाएं		लाभान्वित होने वालेसंभावित किसान
		अनुमोदितपरियोजनाएँ	ब्याजसबवेंशनजारी	अनुमोदितपरियोजनाएँ	ब्याजसबवेंशनजारी	अनुमोदितपरियोजनाएँ	ब्याजसबवेंशनजारी	अनुमोदितपरियोजनाएँ	ब्याजसबवेंशनजारी	अनुमोदितपरियोजनाएँ	ब्याजसबवेंशनजारी	अनुमोदितपरियोजनाएँ	ब्याजसबवेंशनजारी	
		सं.	करोड़	सं.	करोड़	सं.	करोड़	सं.	करोड़	सं.	करोड़	सं.	करोड़	सं.
1	आंध्रप्रदेश	3	4.16	-	-	3	0.14	10	1.96	3	1.41	-	-	1,20,761
2	असम	3	1.36	-	-	6	1.57	-	-	-	-	-	-	11,283
3	बिहार	3	8.89	-	-	1	1.04	1	0.33	1	3.14	-	-	56,678
4	छत्तीसगढ़	3	3.21	-	-	6	8.68	-	-	-	-	-	-	24,886
5	दिल्ली	-	-	-	-	-	-	1	0.10	-	-	-	-	-
6	गुजरात	3	1.73	1	2.36	3	0.69	10	28.58	-	-	1	0.94	26,129
7	हरियाणा	8	1.97	-	-	2	0.05	8	7.44	5	7.77	-	-	97,524
8	हिमाचलप्रदेश	1	-	-	-	-	-	2	0.03	1	-	-	-	3,281
9	जम्मूकश्मीर	1	0.11	1	0.01	1	-	-	-	-	-	-	-	826
10	झारखंड	2	0.63	-	-	2	0.38	4	6.73	-	-	-	-	34,109

क्र. सं.	राज्य कानाम	पशुचारासंयंत्र		पशुअपशिष्टसेसंपत्तिप्रबंधन		नस्लसुधारप्रौद्योगिकी औरनस्लवृद्धिफार्म		डेयरीप्रसंस्करणऔरमूल्यसंवर्धन		मांसप्रसंस्करणऔरमूल्यसंवर्धन		पशुचिकित्साटीकाऔरदवाएं		लाभान्वित होने वालेसंभावित किसान
		अनुमोदितपरियोजनाएँ	ब्याजसबवेंशनजारी	अनुमोदितपरियोजनाएँ	ब्याजसबवेंशनजारी	अनुमोदितपरियोजनाएँ	ब्याजसबवेंशनजारी	अनुमोदितपरियोजनाएँ	ब्याजसबवेंशनजारी	अनुमोदितपरियोजनाएँ	ब्याजसबवेंशनजारी	अनुमोदितपरियोजनाएँ	ब्याजसबवेंशनजारी	
		सं.	करोड़	सं.	करोड़	सं.	करोड़	सं.	करोड़	सं.	करोड़	सं.	करोड़	सं.
11	कर्नाटक	11	15.31	-	-	17	7.08	4	5.95	1	1.45	-	-	87,833
12	केरल	1	0.31	-	-	1	0.02	1	0.06	1	0.35	-	-	16,998
13	मध्यप्रदेश	4	8.79	-	-	3	1.00	13	27.10	-	-	2	1.61	3,05,258
14	**महाराष्ट्र**	**23**	**6.80**	**-**	**-**	**18**	**6.32**	**35**	**56.80**	**1**	**2.26**	**1**	**0.51**	10,09,355
15	ओडिशा	6	6.30	-	-	6	1.02	3	0.47	-	-	-	-	37,467
16	पुदुचेरी	1	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	544
17	पंजाब	15	2.19	1	1.95	5	1.51	3	6.80	6	5.77	-	-	93,958
18	राजस्थान	5	6.28	-	-	4	0.47	9	3.47	-	-	-	-	73,213
19	तमिलनाडु	15	10.58	1	1.13	11	7.88	10	42.11	2	1.87	-	-	3,58,745
2 0	तेलंगाना	8	10.34	-	-	1	0.39	8	32.11	2	6.98	-	-	48,221
21	उत्तर प्रदेश	11	10.81	-	-	5	2.72	17	14.78	1	0.14	-	-	2,21,092
22	उत्तराखंड	2	0.56	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3,209
23	पश्चिम	14	2.96	-	-	9	2.86	8	7.18	1	0.56	-	-	91,646

क्र. सं.	राज्य कानाम	पशुचारासंयंत्र		पशुअपशिष्टसेसंपत्तिप्रबंधन		नस्लसुधारप्रौद्योगिकी औरनस्लवृद्धिफार्म		डेयरीप्रसंस्करणऔरमूल्यसंवर्धन		मांसप्रसंस्करणऔरमूल्यसंवर्धन		पशुचिकित्साटीकाऔरदवाएं		लाभान्वित होने वालेसंभावित किसान
		अनुमोदितपरियोजनाएँ	ब्याजसबवेंशनजारी	अनुमोदितपरियोजनाएँ	ब्याजसबवेंशनजारी	अनुमोदितपरियोजनाएँ	ब्याजसबवेंशनजारी	अनुमोदितपरियोजनाएँ	ब्याजसबवेंशनजारी	अनुमोदितपरियोजनाएँ	ब्याजसबवेंशनजारी	अनुमोदितपरियोजनाएँ	ब्याजसबवेंशनजारी	
		सं.	करोड़	सं.	करोड़	सं.	करोड़	सं.	करोड़	सं.	करोड़	सं.	करोड़	सं.
	बंगाल													
कुलयोग		**143**	**103.45**	**4**	**5.46**	**105**	**43.84**	**147**	**241.99**	**25**	**31.70**	**4**	**3.06**	**27,23,016**

अनुबंध- IV

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 430

संसद सदस्य का नाम: श्रीमती स्मिता उदय वाघ

उत्तर देने की तारीख: 02.12.2025

एनएलएम-ईडीपी (NLM-EDP) के अंतर्गत अनुमोदित परियोजना का राज्य-वार और श्रेणी-वार विवरण निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	**राज्य**	**अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या**					**परियोजना लागत (करोड़ में)**	**अनुमोदित सब्सिडी**	**प्रभावित किसान**
		आहार और चारा	**सूअर पालन**	**पोल्ट्री**	**भेड़ और बकरी**	**कुल योग**			
1.	आंध्र प्रदेश	3	10	18	262	**293**	251.22	118.14	4671
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	30	1	15	**46**	30.73	12.98	273
3.	असम	0	13	5	22	**40**	26.25	11.09	7015
4.	बिहार	0	0	0	2	**2**	0.7	0.28	52
5.	छत्तीसगढ़	1	2	1	23	**27**	16.5	6.19	1647
6.	गुजरात	1	0	0	5	**6**	2.99	1.4	42
7.	हरियाणा	1	2	0	18	**21**	14.68	6.28	210
8.	हिमाचल प्रदेश	0	2	0	15	**17**	9.13	3.9	152
9.	जम्मू और कश्मीर	1	0	1	25	**27**	12.23	4.8	194
10.	झारखंड	0	0	0	1	**1**	1.16	0.5	50
11.	कर्नाटक	6	40	39	1048	**1133**	801.9	379.12	19814
12.	केरल	0	8	3	4	**15**	8.55	3.88	3976
13.	मध्य प्रदेश	52	4	25	400	**481**	349.26	164.61	6627
14.	महाराष्ट्र	42	4	41	279	**366**	216.8	101.89	11054
15.	मणिपुर	0	6	0	0	**6**	2.2	0.6	12
16.	मिजोरम	0	76	0	2	**78**	49.98	18.54	1513
17.	नागालैंड	0	62	4	11	**77**	35.26	17.1	1338
18.	ओडिशा	0	0	0	3	**3**	3	1.32	121
19.	पुदुचेरी	0	0	0	1	**1**	0.64	0.3	0
20.	पंजाब	6	1	0	14	**21**	16.16	5.84	213

क्रम संख्या	राज्य	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या					परियोजना लागत (करोड़ में)	अनुमोदित सब्सिडी	प्रभावित किसान
		आहार और चारा	सूअर पालन	पोल्ट्री	भेड़ और बकरी	कुल योग			
21.	राजस्थान	1	3	2	164	**170**	89.65	38.73	1559
22.	सिक्किम	0	6	0	3	**9**	5.59	2.42	34
23.	तमिलनाडु	1	6	5	169	**181**	115.8	51.67	3441
24.	तेलंगाना	5	0	45	442	**492**	437.2	211.11	7076
25.	त्रिपुरा	0	16	5	5	**26**	19.64	7.28	224
26.	उत्तर प्रदेश	8	37	3	173	**221**	112.42	47.54	6928
27.	उत्तराखंड	0	9	9	52	**70**	30.73	12.94	6325
28.	पश्चिम बंगाल	1	1	0	11	**13**	7.08	3.05	1704
	कुल योग	**129**	**338**	**207**	**3169**	**3843**	**2667.45**	**1233.5**	**86265**